

नाम्बर
अहकाय
की तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 97/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. डालूराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी ग्राम चक मिटाई तन भारीजा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये —तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

—प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती
व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियां वकील वादी की ओर सैं।

निर्णय

दिनांक — 25.02.2021

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम चक मिटाई पटवार हल्का भारीजा भू. अ. नि. क्षेत्र मण्डा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) की तन में अवस्थित वादी एवं अन्य सह—खातेदार की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल ख.नं. 419, 420, 423 किता 3 रकबा 0.54 हैक्टेयर, ख.नं. 421, 422, 424, 425, 425/543, 508, 513, 514, 515, 516, 517 किता 11 रकबा 6.26 हैक्टेयर में से 1/8 हिस्से की खातेदारी एवं ख.नं. 374, 375 किता 2 रकबा 2.16 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है तथा राजस्व ग्राम भारीजा पटवार हल्का भारीजा भू. अ. नि. क्षेत्र मण्डा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) की तन में अवस्थित वादी एवं अन्य सह—खातेदार की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल ख.नं. 1175, 1176, 1177, 1178 किता 4 रकबा 11.41 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्से की खातेदारी एवं ख.नं. 1194, 1195 किता 2 रकबा 13.46 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयां से पूर्णतया प्रमाणित है। उपरोक्त कृषि आराजियात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कही पर डाला पुत्र पदमा एवं कही पर डाल्या पुत्र पदमा दर्ज है जबकि वादी के समस्त लोक दस्तावेजात (आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का मतदाता पहचान पत्र, राशन

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़


कार्ड आदि) में वादी का नाम डालूराम पुत्र पदमाराम दर्ज है तथा इसी अनुरूप ही राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम डाला पुत्र पदमा तथा डाल्या पुत्र पदमा दर्ज है जिस वजह से वादी राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ एवं कम ब्याज पर काश्त के लिए बैंक से प्राप्त होने वाले किसान कार्ड के रूप में कृषि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है तथा न ही वादी अपने हक हिस्से की भूमियों में फसल खराब होने से राज्य सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि प्राप्त कर पाता है इसलिए वादी वादाधीन भूमि में अपना नाम अपने लोक दस्तावेजात के अनुसार एकरूपता के लिए डालूराम पुत्र पदमाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी से वादाधीन भूमि में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में डालूराम पुत्र पदमाराम दर्ज किये जाने का कई बार निवेदन कर चुका है किन्तु प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधन नहीं किये जाने पर वादी को माननीय न्यायालय में वाद संस्थित कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में डाला पुत्र पदमा एवं डाल्या पुत्र पदमा के स्थान पर डालूराम पुत्र पदमाराम उद्घोषित करवाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधित करवाया जाना आवश्यक हो जाने से वाद बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड संशोधन का संस्थित करना लाजिम हुआ है। वाद कारण वादी द्वारा वादाधीन भूमियां में डाला पुत्र पदमा एवं डाल्या पुत्र पदमा के स्थान पर अपना वास्तविक एवं लोक दस्तावेज के अनुसार सही नाम डालूराम पुत्र पदमाराम दर्ज करने का प्रतिवादी से आग्रह करने पर प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधित करने से मना करने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 419, 420, 423 किता 3 रकबा 0.54 हैक्टेयर, ख.नं. 421, 422, 424, 425, 425/543, 508, 513, 514, 515, 516, 517 किता 11 रकबा 6.26 है० व ख.नं. 374, 375 किता 2 रकबा 2.16 है० वाके ग्राम चक मिटाई पटवार हल्का भारीजा तह० दांतारामगढ तथा भूमि खसरा नम्बर 1175, 1176, 1177, 1178 किता 4 रकबा 11.41 हैक्टेयर एवं ख.नं. 1194, 1195 किता 2 रकबा 13.46 हैक्टेयर वाके ग्राम भारीजा पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम डाला पुत्र पदमा एवं डाल्या पुत्र पदमा के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम डालूराम पुत्र पदमाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावे।

3/2/23

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिसे नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार रामेश्वर पुत्र भूदाराम के बयान कलमबद्ध किये गये तथा निवेदन किया कि वादी का सही नाम डालूराम पुत्र पदमाराम किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम पप्पुदयाल पुत्र नारायण के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम डाला पुत्र पदमा एवं डाल्या पुत्र पदमा के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम डालूराम पुत्र पदमाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार के लिए गये कलमबद्ध बयानों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के बयान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 419, 420, 423 किता 3 रकबा 0.54 हैक्टेयर, ख.नं. 421, 422, 424, 425, 425/543, 508, 513, 514, 515, 516, 517 किता 11 रकबा 6.26 है० व ख.नं. 374, 375 किता 2 रकबा 2.16 है० वाके ग्राम चक मिटाई पटवार हल्का भारीजा तह० दांतारामगढ तथा भूमि खसरा नम्बर 1175, 1176, 1177, 1178 किता 4 रकबा 11.41 हैक्टेयर एवं ख.नं. 1194, 1195 किता 2 रकबा 13.46 हैक्टेयर वाके ग्राम भारीजा पटवार हल्का भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम डाल्या पुत्र पदमा व डाला पुत्र पदमा के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम डालूराम पुत्र पदमाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ला दीबानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

डालूराम बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 97/दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 25.02.2021
यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु अशोक कुमार आर.ए.एस
बहाजरी श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियां मिनजानिब मुद्दई पेश
होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया
जाता है तथा भूमि खसरा 419, 420, 423 किता 3 रकबा 0.54 हैक्टेयर, ख.नं.
421, 422, 424, 425, 425/543, 508, 513, 514, 515, 516, 517 किता 11
रकबा 6.26 है० व ख.नं. 374, 375 किता 2 रकबा 2.16 है० वाके ग्राम चक
मिटाई पटवार हल्का भारीजा तह० दांतारामगढ तथा भूमि खसरा नम्बर 1175,
1176, 1177, 1178 किता 4 रकबा 11.41 हैक्टेयर एवं ख.नं. 1194, 1195 किता
2 रकबा 13.46 हैक्टेयर वाके ग्राम भारीजा पटवार हल्का भारीजा तहसील
दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम डाल्या पुत्र पदमा व डाला
पुत्र पदमा के नाम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर डालूराम पुत्र पदमाराम
संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है
तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को
तहरीर जारी हो

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद
व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक

.. को अदा करें।


बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.02.2021 को जारी
की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
रिपवई					
स्टाम्प अर्जी बाबा	8	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प एवम सबूत			सहनताना वकील पर		
सर्वो गवाहान			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इतराय हुक्मनामा		
बाबत इतराय हुक्मनामा			मुताफरिफ	0	00
मुताफरिफ	8	00		0	00
गीजान	18	00	गीजान		00

नोट: इस खर्चे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।


(अशोक कुमार)

जयप्रकाश अधिकारी दांतारासगाढ़